कार्यवाही विवरण

पर्यावरण स्वीकृति आवेदन संबंध में लोक सुनवाई

मेसर्स एस. एन. संडर्सन एण्ड कम्पनी, अमेहटा चूना पत्थर खुली खदान परियोजना

(12.78 हैक्टेयर)

ग्राम अमेहटा, तहसील विजयराघवगढ़, जिला कटनी (म.प्र.)

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ई. आई. ए) अधिसूचना क्रंमाक एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स एस. एन. संडर्सस एण्ड कम्पनी, अमेहटा चूना पत्थर खुली खदान परियोजना (12.78 हैक्टेयर), जिसकी उत्पादन क्षमता 45000 टन चूना पत्थर प्रति वर्ष की ह, एवं जो कि ग्राम अमेहटा, तहसील विजयराघवगढ़, जिला कटनी में स्थित हैं, के लिए केन्द्रीय शासन से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में लोक सुनवाई दिनांक 16.01.2008 को खदान परियोजना स्थल में आयोजित की गई।

अधिसूचना के प्रावधान के अनुसार लोक सुनवाई के संबंध में सूचना का प्रकाशन क्षेत्र में वितरित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों क्रमशः नई दुनिया एवं दैनिक भास्कर में दि. 09.12.2007 को कराया गया एवं प्रचार प्रसार हेतु बैनर लगाए गए तथा आस–पास के गॉवों में मुनादी भी कराई गई।

लोक सुनवाई कलेक्टर प्रतिनिधि तहसीलदार, विजयराघवगढ़ की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी श्री पी. एस. बुदेंला एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। खदान प्रबंधंन की और से कम्पनी के जनरल मैनेजर (वर्क्स) श्री ए. पी. पाठक एवं पर्यावरणीय सलाहकार क्रियेटिव इनवायरो सर्विसेस की ओर से श्री संतोष खंताल एवं श्री रविन्द्र चौधरी एवं प्रस्तावित परियोजना स्थल के आस–पास के गॉंव के रहवासी उपस्थित हुए।

लोक सुनवाई की कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार हैः–

सर्वप्रथम श्री आर. आर. सिंह सेंगर, सहायक यंत्री, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत किया एवं क्षेत्रीय अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जबलपुर श्री पी. एस. बुदेंला द्वारा लोक सुनवाई प्रकिया की आवश्यकता के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई। तदूपंरात श्री सेंगर द्वारा लोक सुनवाई आयोजन के संबंध में नियम में निर्धारित व्यवस्थयों के सापेक्ष बोर्ड द्वारा संपादित कार्यवाही की जानकारी जनमानस को दी गई। इसके उपरांत आवेदक मेसर्स एस. एन. संडर्सस एण्ड कम्पनी के प्रतिनिधि श्री ए. पी. पाठक से आग्रह किया कि प्रस्तावित परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी एवं ई. आई. ए सारांश इस क्षेत्र की भाषा (हिन्दी) में लोक सुनवाई में प्रस्तुत करें।

अमेहटा खदान परियोजना की ओर से श्री ए. पी. पाठक द्वारा कलेक्टर प्रतिनिधि तहसीलदार महोदय, विजयराघवगढ़ एवं क्षेत्रीय अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जबलपुर का स्वागत करते हुए उक्त परियोजना के संचालन से आसपास के क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थाय तथा रोजगार विकास संबंधी जानकारी को रेखाकिंत किया गया तथा परियोजना से संबंधित तकनीकि एवं पर्यावरणीय व्यवस्थाओं की जानकारी देने के लिए मेंसर्स क्रियेटिव इनवायरो सर्विसेस की ओर से श्री संतोष खंताल को आंमत्रित किया। श्री संतोष खंताल के द्वारा परियोजना के संबंध में निम्न जानकारी प्रस्तुत की गईः–

- म. प्र. शासन के द्वारा मेसर्स एस. एन. संर्डसंस एण्ड कम्पनी को चूना पत्थर के उत्खनन के लिए ग्राम अमेहटा तहसील विजयराघवगढ़ जिला कटनी के अन्तर्गत 12.78 हैक्टेयर जमीन की लीज आवंटित की गई है। उक्त खदान वर्ष 1978 से कार्यरत है।
- अमेहटा खदान की जमीन बैरन प्रकार की हैं एवं खदान की लीज भूमि पर किसी भी प्रकार की रहवासी गतिविधियाँ नहीं हैं।
- खदान को खुली पद्धति एवं मानवीय प्रयासों से संचालित किया जाएगा जिसमें सब्बल, कुदाल, फावड़ा, छेनी, हथौड़ा जैसे औजारो का इस्तेमाल किया जाएगा।
- मिनरल पत्थर की छटाई, ढुलाई का कार्य भी मजदूरों के द्वारा ही किया जाएगा।
- उक्त परियोजना में खनन हेतु पानी की आवश्यकता नहीं होगी । अतः पानी के प्रदूषण की संभावना नहीं हैं। घरेलू दूषित जल की उपचार व्यवस्था हेतु सेप्टिक टेंक व सोक पिट बनाये गये है।
- खदान क्षेत्र से परिवहन वाहनों के आवागवन के दौरान धूल कणों के उत्सर्जन को रोकने के लिए पानी के छिड़काव की व्यवस्था पूर्व से संचालित है। इसे ओर प्रभावी बनाया जावेगा। इसके अतिरिक्त अधिकाधिक वृक्षारोपण भी किया जावेगा।
- ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ड्रिलिंग का कार्य नमीयुक्त विधि से किया जाएगा। ब्लास्टिंग अत्याधुनिक मफल ब्लास्टिंग तकनीकी से की जावेगी । परियोजना क्षेत्र में हरित पट्टिका का विकास किया जाएगा एवं ध्वनि बहुल्य क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों को ध्वनि अवरोधक यंत्र (ईयर प्लग) दिए जावेगे।
- खनित भूमि को खदान अवशिष्ट पदार्थो से भरा जावेगा। लीज अवधि में कुल 5.91 हैक्टेयर क्षेत्र में उत्खनन होगा एवं लगभग 3.5 लाख टन अवशिष्ट लीज अवधि के अंत तक एकत्रित होने की संभावना हैं।
- खदान परियोजना में सघन वृक्षारोपण की योजना बनाई गई है। लीज क्षेत्र के अंतर्गत खनिज के उत्खनन के लिए अनुपयोगी क्षेत्र में भी वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे लीज अवधि के अंत तक उस क्षेत्र की वानस्पतिक सुदंरता बढ़ जाएगी।
- उक्त खदान परियोजना में क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। परियोजना के लिए लगभग 130 मजदूरों की आवश्यकता होगी, जिनकी पूर्ति निकटवर्ती क्षेत्रों से ही होगी। परियोजना से अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी।

इसके पश्चात् कलेक्टर प्रतिनिधि तहसीलदार महोदय, विजयराघवगढ़ द्वारा परियोजना स्थल के आसपास स्थित ग्रामवासियों को कोई अन्य जानकारी प्राप्त करने,, सुझाव, आपत्ति या टीका–टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित किया गया। उपस्थित जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझाव, आपत्ति या टीका टिप्पणी के मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैः–

1. उपस्थित जनसमुदाय द्वारा बहुमत से खदान परियोजना से कोई भी आपत्ति नहीं होने का कथन किया गया
2. खदान परियोजना में आस–पास के ग्रामवासियों को रोजगार दिये जाने की मांग की गई ।
3. खदान परियोजना में कार्य चलने से प्रदूषण फैलता है। रोड में पानी सिचाई से कुछ देर के लिए प्रदूषण बंद हो जाता है। प्रदूषण हटाने की कोशिश की जाना चाहिए। क्रशर से भी प्रदूषण होता है।
4. खदान परियोजना से इस क्षेत्र की आर्थिक आय में वृद्वि हुई है एवं खदान के पानी से गॉव में खेतों में सिचाई की जाने लगी जिससे उपज के उत्पादन में वृद्वि हुई ।
5. खदान परियोजना के द्वारा जो वृक्ष लगाये जाते है वह कम मात्रा में लगाये जाते हैं एवं जो वृक्ष लगाए जाते है वे बिना सुरक्षा के कारण शीघ्र नष्ट हो जाते है अतः वृक्षों की सुरक्षा करने की मॉग की गई
6. यहॉ बेरोजगारी अधिक है मजदूरो को रोजगार दिया जाए। कंपनी के द्वारा हार्ट का आपरेशन तथा ऑखों के मोतिया बिंद का आपरेशन कराया जाता है एवं गरीब जनता के बच्चों की शिक्षा हेतु शिक्षण संस्था चलाती है।

7. कंपनी द्वारा कार्य करने वाले श्रमिको के उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए।
8. खदान में मशीनों द्वारा कार्य नहीं कराया जाना चाहिए इससे रोजगार की उपलब्धता में कमी आती हैं।
9. कंपनी द्वारा निकट स्थित श्रमिक बस्ती को पानी प्रदाय नही किया जाता हैं। बस्ती में सरकारी हैंडपंप है किन्तु वे गर्मी में सूख जाते हैं जिससे लोगो को दूर पानी लेने जाना पडता है।
10. खदान की गहराई अधिक हो जाने से तथा खदान से पानी निकाले जाने के कारण खदान से लगी बस्ती में पेयजल की समस्या बनी रहती है।
11. खदान शीघ्र चालु करने की मॉग की गई।
12. लोगों के द्वारा मजदूरीं बढाये जाने की मॉग की गई ।
13. खदान में डीप व्लास्टिंग की जाती है जिससे मकानों में दरारे पडती है। डीप ब्लास्टिंग नहीं की जानी चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा उपस्थित जन सामान्य को आश्वशत किया गया कि उनके द्वारा उपरोक्तानुसार जो आपत्तियॉ दर्ज कराई गई है। वह मूलतः म. प्र प्रदुषण नयंत्रण बोर्ड के माध्यम से भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली को प्रेषित किया जाएगा। इन आपत्तियों पर वहॉ पर विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा विचार किया जाएगा एवं उनके द्वारा संबंधित खदान परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन पर निर्णय लेने के पूर्व सभी आपत्तियों का उचित निराकरण सुनिश्चित कराया जावेगा। लोक सुनवाई के दौरान कुल 118 आपत्तियॉ/सुक्षाव/ टीका टिप्पणी लिखित रूप में प्राप्त हुई । प्राप्त आपत्तियॉ इस विवरण के साथ संलग्न है। इसके उपरात श्री सेंगर के द्वारा उपरोक्त प्राप्त आपत्तियों, सुझाव, विचार व टीका–टिप्पणी के संबंध में परियोजना प्रबंधन को लिखित में जबाव प्रस्तुत करने हेतु कहा गया । परियोजना प्रबंधन द्वारा इस संबंध में लिखित में जबाव प्रस्तुत किया गया जो इस कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न है तथा इस विवरण का भाग हैं। उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने एवं खदान प्रतिनिधि द्वारा जबाव प्रस्तुत करने के उपरांत लोक सुनवाई कार्यवाही विवरण की जानकारी उपस्थित जन समुदाय को दी गई। तदुपरांत लोक सुनवाई के संबंध मे जन सामान्य की आशंकाओं का समाधान करते हुए कलेक्टर प्रतिनिधि तहसीलदार महोदय, विजयराघवगढ़ द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त की गई।

अंत में श्री आर. आर. सिंह सेंगर, सहायक यंत्री द्वारा कलेक्टर प्रतिनिधि तहसीलदार महोदय, विजयराघवगढ़ श्री अनिल श्रीवास्तव , समस्त गणमान्य नागरिकों, अन्य प्रतिनिधियों को लोक सुनवाई में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद एवं आभार ज्ञापित किया गया।

दिनांक : 16.01.2008

हस्ताक्षर

स्थल : खदान परियोजना स्थल
ग्राम अमेहटा तहसील विजयराघवगढ़
जिला कटनी (म0प्र0)

(श्री अनिल श्रीवास्तव)
कलेक्टर प्रतिनिधि
तहसीलदार, तहसील विजयराघवगढ़
जिला– कटनी

(श्री पी. एस. बुदेंला)
क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड,
जबलपुर

प्रति,
श्री पी. एस. बुदेंला
क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, जबलपुर